न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2017

नाजमसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी बगराडी तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब)।

—अपीलार्थी

बनाम

1. लखवीरसिंह पुत्र नाजमसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर।
2. जसवीरसिंह पुत्र नाजमसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर।
3. मेजर पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर।
4. कौरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर –मृतक

   4/1 तेजकौर बेवा कौरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एल. एन.पी. तहसील व श्रीगंगानगर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर /उपपंजीयक श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 19.02.2016

उपस्थितिः–

श्री जितेन्द्र सरपाल अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो.

27/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 27.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 22 एल.एन.पी. के खाता संख्या 35/36, 36/36, 58/57, 11/11 मु.न. 22, 36, 39 की आराजी को किसी प्रकार से मुन्तकिल व बेदखल करने से बाज व ममनू रहें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.02.2016 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने एवं बिना नोटिस तामील के पारित किया गया है। रेस्पो.सं. 1 व 2 का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पो. संख्या 3 व 4 का खातेदारी है। अधी. न्यायालय ने धारा 212 के तीनों सिद्धान्तों का कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक है अपीलार्थीगण उक्त भूमि को हस्तान्तरण की फिराक में है यदि बेचान हो जाता है

27/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की सम्भवना रहेगी। इसके अलावा अपीलार्थीगण के नाम से रजि. नोटिस भेजे गये थे लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए जो आदेश पारित किया है वह उचित होने से अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जो एक पक्षीय सुनकर रेस्पो. के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी हुआ है, जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनाक 21.11.2012 को अपीलांट की तलबी हेतु रेस्पो. अभिभाषक को अन्तिम अवसर दिया गया फिर भी नोटिस पेश नहीं किये तथा निर्णय कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अधी.न्यायालय की पत्रावली की फर्दअहकाम दिनांक 27.05.2013 में स्पष्ट अंकित है " कि प्रार्थी वकील उपस्थित पूर्व आदेश की पालना नहीं किये जाने के कारण टीआई की मियाद नहीं बढ़ाकर दिनांक 24.06.2013 को वास्ते बहस पेश हो" यह आदेशिका कानून की निगाहों में त्रुटिपूर्ण है जब न्यायालय ने यह मान लिया कि प्रार्थी द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई जो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 का Mandatory Provision है प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.13 को ही Techenical ground non-complianic of order में खारिज योग्य था जो अधी.न्यायालय ने खारिज न कर विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश में जिस आदेश दिनांक 26.09.2009 को पुष्ट किया है वह अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.05.2013 को मियाद नहीं बढ़ाई गई। अतः यह आदेश दिनांक

23/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

27.05.2013 को ही खत्म हो गया था। अतः इस दिनांक 19.02.2016 को पुष्ट Confirm करना अधी. न्यायालय की विधिक भूल है। अतः उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं पर अपील अपीलांट स्वकार की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.02.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर